

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1438/2016/जयपुर
2. अपील संख्या 1439/2016/जयपुर
3. अपील संख्या 1440/2016/जयपुर
4. अपील संख्या 1441/2016/जयपुर

सुपरट्रोन इलेक्ट्रानिक्स प्रा०लि०,
प्लॉट नं.-58, धुलेश्वर बाग, सी स्कीम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय अधिकारी-II, वाणिज्यिक कर, जयपुर
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,
वृत्त-III, जयपुर

.....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री मनोज जैन
अभिभाषक
श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक 23.11.2017

निर्णय

1. उक्त चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-III, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 61 एवं 55 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.05.2015 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी संख्या	वर्ष	कर	ब्याज
1438/2016	70/अपील-II/आरवीएटी/जयपुर	2009-10	1,47,834	99,049
1439/2016	71/अपील-II/आरवीएटी/जयपुर	2010-11	96,059	52,833
1440/2016	72/अपील-II/आरवीएटी/जयपुर	2011-12	97,017	41,717
1441/2016	73/अपील-II/आरवीएटी/जयपुर	2012-13	1,67,281	51,857

2. उक्त चारों अपीलों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. उक्त प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2014 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में लेपटाप, कम्प्यूटर एवं एसेसरीज की बिक्री पर 4/5

लगातार.....2.

Am. Kumar
23/11/17

प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद लेपटाप, कम्प्यूटर एवं एसेसरीज (लेपटॉप बैट्री चार्जर/ऐडाप्टर) अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में उक्त तालिका अनुसार 8.5/9/10 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें बिक्रीत उत्पाद लेपटाप, कम्प्यूटर एवं एसेसरीज (लेपटॉप बैट्री चार्जर/ऐडाप्टर) पर आरोपित धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया तथा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा लेपटॉप बैट्री चार्जर/ऐडाप्टर को लेपटॉप का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशेष (Residuary) अनुसूची-V के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है, जबकि उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट-ए के अन्तर्गत आच्छादित होती है, जिस पर आलोच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है, न कि 14 प्रतिशत। साथ ही यह तर्क प्रस्तुत गया है कि लेपटॉप का बैट्री चार्जर/ऐडाप्टर, लेपटॉप का आवश्यक पार्ट है, जिसके बिना लेपटॉप कार्य नहीं कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आयुक्त बनाम जसवन्त सिंह चरण सिंह (1967) 19 एसटीसी 469 में प्रतिपादित किया है कि किसी वस्तु को उसके लोकप्रिय नाम के आधार पर ही मान्यता दी जानी चाहिये न कि उसके तकनीकी अथवा वैज्ञानिक आधार पर। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एस.टी.आर. पिटीशन नं० 129/2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4/5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। अतः उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये:-

Amal Kumar
23/11/17

- (i) The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016
 - (ii) The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 297/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Agencies, Ajmer Date 16-08-2015
 - (iii) Supreme Court of India Assistant Commercial Tax Officer Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik agencies, Ajmer Date 28-03-2016.
 - (iv) Supreme Court of India Assistant Commercial Taxes Officer Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur Dated 21.01.2015
 - (v) In the Supreme Court of India Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd.
 - (vi) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 05.06.2017.
 - (vii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 853 से 855/2015/जयपुर मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोरमेटिक्स लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 27.06.2017.
 - (viii) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 436 से 439/2016/अलवर मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा०लि०, अलवर बनाम अपीलीय प्राधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 29.06.2017.
 - (ix) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 509 एवं 510/2015/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2017
 - (x) राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 235 से 237/2015/जयपुर मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2017
6. विभाग/राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
 7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
 8. प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि लेपटॉप के साथ विक्रय की गई लेपटॉप बैट्री चार्जर/ऐडाप्टर पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी?
- इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय तिथि 17.12.2014 का सुसंगत वर्णन निम्नानुसार है :-

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone

लगातार.....4.

[Signature]
23/11/17

charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत मैसर्स नोकिया इण्डिया लि. में सेल फोन चार्जर के कर दर के संबंध में विवेचना की गयी है। वर्तमान प्रकरणों में लेपटॉप चार्जर के कर दर का विवाद है। यहां यह उल्लेखनीय है कि लेपटॉप के चार्जर/एडोप्टर की प्रकृति व कार्यप्रणाली सेल फोन चार्जर के सामान है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स नोकिया इण्डिया लि. के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त से वर्तमान सभी प्रकरण आच्छादित है। अतः लैपटॉप का चार्जर/एडोप्टर लैपटॉप का पार्ट नहीं है, बल्कि एसेसरीज है। वर्तमान प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने भी यह निर्धारित किया है कि लेपटॉप के चार्जर एक एसेसरीज है तथा वेट अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 65 के तहत आईटी प्रोडक्ट्स पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 28 पर क. सं. 1 से 27 के पार्ट्स अंकित है। लेपटॉप का चार्जर एसेसरीज होने से दिनांक 06.03.2013 से पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स नोकिया इण्डिया लि. में पारित निर्णय के अनुसार जो वेट अनुसूची I, II, III, IV, VI में नहीं होने के कारण वेट अनुसूची V के तहत 12.5/14 प्रतिशत से करयोग्य है। अनुसूची IV के पार्ट A में दिनांक 06.03.2013 को संशोधित कर प्रविष्टि संख्या 28 पर क. सं. 1 से 27 के पार्ट्स के साथ एसेसरीज शब्द जोड़ा जाने से दिनांक 06.03.2013 से अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत लेपटॉप के बैटरी चार्जर/एडोप्टर पर संबंधित लेखा वर्षों में प्रचलित कर दर 4/5 प्रतिशत से देय योग्य है।

आदेश

- (i) परिणामस्वरूप व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें आंशिक रूप से इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि आक्षेपित लेखा वर्षों में दिनांक 05.03.2013 तक अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत लेपटॉप के बैटरी चार्जर/एडोप्टर पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. के अनुसार सामान्य कर दर देय होगी तथा अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ के पार्ट A की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 से संशोधन होने से प्रविष्टि सं० 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी उक्त आइटम के समान करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 से अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत लेपटॉप के बैटरी चार्जर/एडोप्टर पर संबंधित लेखा वर्षों में प्रचलित कर दर 4/5 प्रतिशत से कर देय है।

aw. sharma
23/11/17

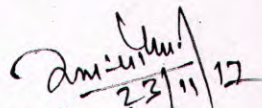
लगातार.....5.

(ii) कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 12.05.2015 में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत लेपटॉप के बैटरी चार्जर/एडोप्टर पर दिनांक 05.03.2013 तक का अन्तर कर व ब्याज पुष्टि कर यथावत रखा जाता है। अतः इस सीमा तक कर निर्धारण आदेश व अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

(iii) दिनांक 06.03.2013 से आरोपित अन्तर कर व ब्याज के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जाता है।

उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु उक्त समस्त प्रकरणों को सक्षम अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।


(राजीव चौधरी)
सदस्य